अपील सूचना अधिकार संख्या 66/2018 (RCMS 2018/00170), गुरबन्त सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह निवासी 8 गुरूनगर, वार्ड नं 06, श्रीगंगानगर मोबाईल नं. 94685–87889 बनाम तहसीलदार (भू.अ.), श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.02.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरबंत सिंह एवं अप्रार्थी की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अप्रार्थी तहसीलदार, श्रीकरणपुर का जवाब शामिल मिसल है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी का कथन है कि उन्होने तहसीलदार, श्रीकरणपुर से उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2018 से सूचना चाही थी। तहसीलदार, श्रीकरणपुर से उन्हें दिनांक 04.09.2018 को सूचनाएं प्राप्त हुई। जो सूचनाए उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई है वे सूचनाएं गलत तथा रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड करते हुए उपलब्ध करवाई गई है। अपीलार्थी का आगे कथन है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा उन्हें तोड–मरोड कर तथा भ्रमित करने वाली सूचना दी है एवं उनके द्वारा जानबूझ कर सूचना न देने की मंशा से सही सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई एवं अपूर्ण सूचनाएं दी गई है। इसलिए उनकी अपील स्वीकार की जाकर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे एवं पीठासीन अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही की जावे।

इसके विपरीत **तहसीलदार (भू.अ.), श्रीकरणपुर के प्रतिनिधि ने कथन किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत देय सूचनाएं अपीलार्थी को उनके द्वारा पत्रांक भू.अ./4063 दिनांक 04.08.2018 से उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसलिए उसकी अपील खारिज करने योग्य है। उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त के अलावा भी अपीलार्थी सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन कर, जो भी सूचना उपलब्ध रिकॉर्ड में से लेना चाहे नियमानुसार ले सकता है।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें दोनों पक्षों के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गुरबन्त सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2018 के द्वारा तहसीलदार, श्रीकरणपुर से निम्न सूचना चाही थीः—

1. विभाग नियमानुसार डिक्री इंतकाल से पहले ईजराय डिक्री लेना आवश्यक है, जानकारी देवें। ईजराय डिक्री से संबंधित विभाग की नियमावली की प्रमाणित प्रति देवें।
2. ईंतकाल संख्या 697 दिनांक 27.04.2013 चक 46 एफ मौड़ा की ईजराय डिक्री ले ली गई थी, जानकारी देवें तथा ईजराय डिक्री की प्रमाणित प्रति देवें।
3. सामान्य प्रक्रिया में डिक्री इंतकाल चढने में कितने दिन लगते है, जानकारी देवें।
4. विभाग के नियमानुसार डिक्री इंतकाल चढाने की सामान्य प्रक्रिया क्या है, जानकारी देवें (कौन—कौन से दस्तावेज तथा किस—किस कर्मचारी व अधिकारी द्वारा किस स्तर पर कौन कौन से कार्य किये जाते है।
5. एसडीएम, श्रीकरणपुर द्वारा प्रकरण संख्या 28/200 का आदेश किस दिनांक, समय व किस माध्यम द्वारा तहसील कार्यालय की कौनसी शाखा में डिस्पैच करवाया गया, समय, दिनांक, माध्यम, शाखा तथा डिस्पैच नं. की जानकारी देवें।
6. तहसील कार्यालय करणपुर में राजस्व शाखा में दिनांक 25.04.2018 से 28.04.2018 तथा 22.05.2018 से 29.05.2018 के डिस्पैच रजिस्टर की प्रमाणित प्रति देवें।
7. कानूनगों शाखा को, एसडीएम आदेश 28/2010 किस दिनांक, समय व किस माध्यम द्वारा डिस्पैच करवाया गया। दिनांक, समय, माध्यम व डिस्पैच नम्बर की जानकारी देवें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

8. कानूनगों शखा के दिनांक 25.04.2018 से 28.04.2018 के तथा
   22.05.2018 से 29.05.2018 के डिस्पैच रजिस्टर की प्रमाणित प्रति देवें।
9. पटवारी हजारी राम चार्ज 46 एफ मौडा की दिनांक 25.04.2018 से 29.04.2018 तथा 15.05.2018 से 16.05.2018 की दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रति देवें।
10. गिरदावर भूपेन्द्र जिसने ईंतकाल 697, चक 46 एफ मौड़ा का मिलान किया, की दिनांक 25.04.2018 से 28.04.2018 की दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रति देवें।
11. नायब तहसीलदार जिसने ई.सं. 697 चक 48 एफ मौड़ा की फाईनल किया। 25.04.2018 से 28.04.2018 की दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रति देवें।
12. तहसीलदार, करणपुर की दिनांक 25.04.2018 से 28.04.2018 की दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रति देवें।
13. ई.संख्या 697 दिनांक 27.04.2018, चक 46 एफ मौड़ा को फाईनल करने में संलग्न सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति देवें।
14. जिस नायब तहसीलदार द्वारा उपरोक्त ईंतकाल फाईनल हुआ, उस समय 46 एफ मौडा हल्के के ईंतकाल को फाईनल करने का चार्ज नायब तहसीलदार के पास था, जानकारी देवें। चार्ज की प्रमाणित प्रति देवें।
15. चक 46 एफ मौड़ा की जमाबंदी मु.नं. 3 में पटवारी द्वारा आरएए के आदेश को अंकित किया गया है। इस आदेश को फाईनल करने के लिए संबंधित पटवारी द्वारा आज तक कोई कार्यवाही की गई है, जानकारी देवें।
16. 27.04.2018 को पटवारी हजारी राम, गिरदावर भूपेन्द्र तथा नायब तहसीलदार जिन्होनें उपरोक्त इंतकाल का फाईनल करने में भूमिका निभाई, किसी भी प्रकार की आपस में या कोई अन्य मीटिंग हुई है तो जानकारी देवें तथा संबंधित मीटिंग के उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति देवें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

17. पटवारी द्वारा 46 एफ मौड़ा के मु.नं. 3 की जमाबंदी की जमाबंदी पर जो आर.ए.ए. का आदेश अंकित है, वह आदेश पटवारी को किस दिनांक, समय व किस माध्यम से मिला। समय, दिनांक व माध्यम तथा डिस्पैच नम्बर की जानकारी देवें।

उपरोक्त सभी सूचनाओं की क्रमवार स्पष्ट जानकारी देवें। जब ये सूचनाएं उपलब्ध हो जाए तो आवेदन में लिखे फोन पर सूचित कर दें ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से आकर उपरोक्त सूचनाएं प्राप्त कर सकूं।

तहसीलदार (भू.अ.), श्रीकरणपुर ने अपने पत्रांक भू.अ./4063 दिनांक 04.08.2018 से अपीलार्थी को निम्न सूचना उपलब्ध करवाई है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके सूचना के अधिकार के प्रार्थना पत्र अनुसार सूचना निम्नानुसार है :

1. सूचना प्रश्नात्मक है उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।
2. इजराय की प्रमाणित प्रति सक्षम न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है।
3. इस सम्बन्ध में निर्धारित नियमावली देखी जा सकती है। प्रश्नोत्तर में सूचना नहीं दी जा सकती है।
4. सूचना प्रश्नात्मक है उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।
5. सूचना प्रश्नात्मक है उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।
6. राजस्व शाखा के डिस्पैच रजिस्टर की निर्धारित दिनांक की प्रति संलग्न है।
7. डिस्पैच नं 1613 दिनांक 24.04.2018 है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

8. कानूनगों शखा के डिस्पैच रजिस्टर की निर्धारित दिनांक की प्रति संलग्न हैं
9. पटवारी प.म. मौड़ा की निर्धारित दिनांक की दैनिक डायरी की प्रति संलग्न है।
10. भू–अभि. निरीक्षक की दैनिक डायरी की निर्धारित दिनांक की प्रति संलग्न है।
11. नायब तहसीलदार की दैनिक डायरी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
12. तहसीलदार की दैनिक डायरी की निर्धारित दिनांक की प्रति संलग्न है।
13. इंतकाल संख्या 697 श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, श्रीकरणपुर के आदेश की पालना में दर्ज किया गया। प्रमाणित प्रति सक्षम न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।
14. आदेश की प्रति जिला कार्यालय द्वारा जारी की जाती है, अतः वही से प्राप्त करें।
15. सूचना प्रश्नात्मक है, उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।
16. मीटिंग रजिस्टर की प्रति संलग्न है।
17. प्रश्नोत्तर में सूचना नहीं दी जा सकती है।

अपीलार्थी को दिये गए उक्त उत्तर के अतिरिक्त तहसीलदार, श्रीकरणपुर ने अपील में भी बिन्दुवार सूचनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत टिपपणी निम्नानुसार दी है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. प्रार्थी का कथन था कि क्या डिक्री इन्तकाल से पहले इजराय डिक्री लेना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण पूर्व में प्रेषित सूचना में सूचना प्रश्नात्मक है, अतः सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, अंकित किया गया था।

2. प्रार्थी द्वारा ईन्तकाल सं 697 दिनांक 27.04.2018 चक 46 एफ की इजराय डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी, जिसमें प्रार्थी को उक्त इजराय डिक्री चूंकि सक्षम न्यायालय द्वारा जारी की गई थी। अतः प्रार्थी को सक्षम न्यायालय से इजराय डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु अंकित किया गया था।

3. प्रार्थी द्वारा सामान्य प्रक्रिया में डिक्री इन्तकाल चढाने में कितने दिन का समय लगता है, के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी, के सम्बन्ध में प्रार्थी को विभागीय नियमावली देखने तथा सूचना प्रश्नात्मक होने का अंकन कर सूचना दी गई थीं प्रार्थी के जवाब में अंकित किया गया है कि जब बिन्दु संख्या 07 की सूचना दी जा सकती है तो इसकी सूचना क्यों नहीं दी जा सकती हे सम्बन्ध में निवेदन है कि क्र.सं. 07 पर प्रार्थी द्वारा डिस्पेच रजिस्टर की नकल चाही गई थी न कि प्रश्नात्मक प्रकार की सूचना चाही गई थी।

4. प्रार्थी द्वारा सामान्य प्रक्रिया में डिक्री इन्तकाल चढ़ाने की प्रक्रिया तथा लगने वाले दस्तावेज व अधिकारी कौन–2 से होते है के सम्बन्ध मे सूचना चाही गई थी, के सम्बन्ध में सूचना प्रश्नात्मक होने का अंकन कर सूचना दी गई थी।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

5. प्रार्थी द्वारा चाहा गया कि एसडीएम करणपुर द्वारा प्र.सं. 28/2010 का आदेश किस दिनांक, समय व किस माध्यम द्वारा तहसील कार्यालय की कौनसी शाखा में डिस्पेच करवाया गया के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी, के सम्बन्ध में सूचना प्रश्नात्मक है अंकित कर सूचना दी गई थी।

6. प्रार्थी को डिस्पेच रजिस्टर की पूर्ण सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी।

7. पूर्व में प्रेषित सूचना में डिस्पेच नं. 1613 दिनांक 24.04.2018 सहवन से अंकित कर दिया गया था जबकि डिस्पेच नं. 1613 दिनांक 25.04.18 है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को कानूनगों शाखा के डिस्पेच रजिस्टर की नकल उपलब्ध करवा दी गई है।

8. प्रार्थी को इस सम्बन्ध में कानूनगों शाखा के डिस्पैच रजिस्टर की सम्बन्धित दिनांक की प्रति उपलब्ध करवा दी गई है।

9. प्रार्थी का निर्धारित दिनांक की पटवारी की दैनिक डायरी की प्रति उपलब्ध करवा दी गई है।

10. प्रार्थी का निर्धारित दिनांक की भू–अभिलेख निरीक्षण की दैनिक डायरी की प्रति उपलब्ध करवा दी गई है।

11. नायब तहसीलदार की दैनिक डायरी तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। चूंकि तत्कालीन नायब तहसीलदार का तत्समय स्थानान्तरण हो चुका था।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

12. प्रार्थी को निर्धारित दिनांक की तहसीलदार की दैनिक डायरी की प्रति उपलब्ध करवा दी गई है।

13. प्रार्थी द्वारा ई.सं. 697 फाईनल करने में संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति चाही गई थी, जो कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के निर्णय की पालना में दर्ज किया गया था, इसलिए प्रार्थी को प्रमाणित प्रति सक्षम न्यायालय से प्राप्त करने हेतु लिखा गया था।

14. प्रार्थी द्वारा चक 46 एफ का चार्ज किस नायब तहसीलदार के पास था, के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी तथा चार्ज की प्रमाणित प्रति चाही गई थी। इस सम्बन्ध में आर.ओ. का कार्य विभाजन चूंकि जिला कर्यालय द्वारा किया किया जाता है, अतः कार्य विभाजन की प्रमाणित प्रति जिला कार्यालय से प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को अंकित किया गया था।

15. प्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश को फाईनल करने में पटवारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई के सम्बन्ध में सूचना चाहने पर प्रार्थी को लिखा गया था कि न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर ही तदानुसार आगामी/फाईनल कार्यवाही की जायेगी।

16. प्रार्थी द्वारा मीटिंग रजिस्टर की प्रति चाही गई थी जो कि प्रार्थी को उपलबध करवा दी गई थी।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17 प्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश पटवारी को किस दिनांक, समय व किस माध्यम से मिला के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी, के सम्बन्ध में सूचना प्रश्नोत्तर में होने का अकित कर सूचना भिजवाई गई थी। बिन्दु संख्या 07 के अनुसार प्रार्थी को कानूनगों शाखा के डिस्पेच रजिस्टर की प्रति उपलब्ध करवा दी गई थी।

इस प्रकार अप्रार्थी को सूचनायें उपलब्ध करवा दी गई थी। इसके अतिरिक्त फिर भी अप्रार्थी किसी भी कार्यालय दिवस में रिकॉर्ड का अवलोकन कर सकता है तथा चाही गई सूचनायें पुनः प्राप्त कर सकता है। अतः बिन्दुवार रिपोर्ट मय टिप्पणी सूचनार्थ व आगामी कार्यवाही हेतु श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं में बिन्दु संख्या 01, 03, 04, 05, 15, 17 द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक होने के कारण उपलब्ध नहीं करवाई गई है एवं बिन्दु संख्या 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16 की सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं बिन्दु संख्या 2, 13, 14 के सूचनाओं के प्राप्त करने के सम्बन्ध में भी उसे समुचित उत्तर दिया जा चुका है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

इसप्रकार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर द्वारा जो उक्तानुसार उत्तर दिया गया है वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। **फिर भी** सूचना का अधिकार अधिनियम

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2005 की भावनाओं को देखते हुए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर को आदेश किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उसे अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का नियमानुसार निरीक्षण करवा दिया जावे और यदि वह उपलब्ध अभिलेख में से किसी भी निश्चित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार आदेश प्राप्ति के 7 दिवस में उपलब्ध करवा दी जावे।

आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो यह आदेश आज दिनांक 04.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर